फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशी गुर्जर पिता लादु लाल गुर्जर निवासी कुन्दवा हाल निवासी महावीर आईस्क्रीम आब्दुल्लागंज तह. गोरगंज जिला–राइसेन (म0प्र0) 464993 **– अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 08/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया । लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ से जरिये पृष्ठांकित पत्रांक क्रमांक प0/आरटीआई/2023/419 दिनांक 20.06.2023 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के प्रार्थना पत्र में चाही गई वांछित सूचना बिन्दु संख्या 01 की सूचना न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण दो पक्षकारों के मध्य निर्णित होता है तो रेवेन्यु कोर्ट मैन्युअल के अन्तर्गत प्रतिलिपी प्रार्थना पत्र पर प्रकरण में जो भी मूल प्रतियां होती है वह प्रतिलिपी एक्ट के अनुरूप ही दी जा सकती है एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना भी यदि प्रार्थी न्यायालय वाद में पक्षकार है तो राजस्व कोर्ट मैन्युअल अनुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों की नियमानुसार प्रतिलिपी प्राप्त कर सकता है एवं बिन्दु संख्या 3 की सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2 (च) के प्रावधानों के संगत नहीं होने सूचना का प्रकार प्रश्नात्मक होने से अदेय है बिन्दु संख्या 04 की सूचना यदि आप वर्णित वाद में पक्षकार है तो स्वयं या अधिवक्ता मार्फत राजस्व कोर्ट मैन्युअल एवं प्रतिलिपि एक्ट अनुसार नकल प्राप्त कर सकते है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 20.01.2023 द्वारा सूचित किये जाने तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात हाईकोर्ट के मामले में 04 मार्च 2020 को सुनाए गए फैसले के अनुसार कोर्ट रूल्स के मध्यनजर आरटीआई के तहत सूचना उपलब्ध नही कराई जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी देवगढ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)